



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 421]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

## केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

**सं. 7-1/90-के.हो.प.(पार्ट-II).**—केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 की उप-धारा (1) खण्ड (ख) से (छ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् (साधारण) विनियम, 1984 का अधिक्रमण करते हुए, इसमें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किये गए अथवा किये जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्, केंद्रीय सरकार की पूर्वानुमति से निम्नलिखित विनियम, बनाती है, अर्थात्:

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन विनियमों को केंद्रीय होम्योपैथी (साधारण) विनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा:-** (1) इन विनियमों में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “अधिनियम” से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) अभिप्रेत है।

(ख) “परिषद्” के कर्मचारी से अभिप्रेत है, जो व्यक्ति, अधिनियम 11 के खण्ड (ख) के अधीन नियोजित किये गए हैं।

(ग) “कार्यकारिणी समिति” या “समिति”, से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यकारिणी समिति या समिति।

(घ) “निरीक्षक”, से अभिप्रेत है, धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त चिकित्सीय निरीक्षक।

(ङ) “सदस्य” से अभिप्रेत है, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचित सदस्य।

(च) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है, धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित केंद्रीय परिषद् के अध्यक्ष।

(छ) “उपाध्यक्ष”, से अभिप्रेत है, धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित केंद्रीय परिषद् के उपाध्यक्ष।

(ज) “रजिस्ट्रार” या “सचिव” से अभिप्रेत है, परिषद् का वह रजिस्ट्रार जिसे धारा 11 के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किया गया है और जो परिषद् के सचिव के रूप में भी कार्य करता है।

(झ) “धारा” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।

(ज) “परिदर्शक”, से अभिप्रेत है, धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त परिदर्शक।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं उनके लिए अधिनियम में अनुदेशित अर्थ होगा।

3. **केंद्रीय परिषद् का कार्यालय:** केंद्रीय परिषद् का कार्यालय दिल्ली में स्थित होगा।

4. **केंद्रीय परिषद् के अधिवेशनों का समय, स्थान और कार्यसूची तैयार करना:-**

(1) परिषद् के अधिवेशन साधारणतया दिल्ली में होंगे अथवा ऐसे अन्य स्थानों और ऐसी तारीखों तथा समय पर होंगे जो केंद्रीय परिषद् द्वारा विनिश्चित किये गए हों,

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय पंद्रह दिन की सूचना देकर विशेष अधिवेशन बुला सकता है:-

(i) किसी ऐसे अत्यावश्यक विषय के बारे में कार्यवाही करने के लिए जिस पर केंद्रीय परिषद् द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित हो,

(ii) विनियम के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए,

(iii) केंद्रीय परिषद् के कुल सदस्यों में से कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों द्वारा आध्यात्मिक हस्ताक्षरित किये जाने पर किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो केंद्रीय परिषद् के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हो किन्तु खण्ड (ii) में निर्दिष्ट न हो।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में किया गया केंद्रीय परिषद् का प्रथम अधिवेशन, उस वर्ष के लिए केंद्रीय परिषद् का, वार्षिक अधिवेशन होगा।

(3) उप विनियम (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट विशेष अधिवेशन में केवल उस विषय पर विचार-विमर्श किया जायेगा जिसके लिए अधिवेशन बुलाया गया है।

**5. अधिवेशनों की सूचना:-** (1) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के परन्तुक के अधीन या विनियम 8 के प्रथम परन्तुक के अधीन बुलाये गये विशेष अधिवेशन से भिन्न प्रत्येक अधिवेशन की सूचना सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को अधिवेशन की तारीख से कम से कम पैंतालीस दिन पहले भेजी जाएगी।

(2) केंद्रीय परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी तथापि किसी सूचना के प्राप्त न होने पर किसी अधिवेशन की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी तथा सदस्यों को अधिवेशन के कार्यवाही की सूचना ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है।

**6. कार्यसूची के कागज-पत्र:-** (1) सचिव, अधिवेशन की सूचना के साथ प्रारंभिक कार्यसूची के कागज-पत्र जारी करेगा जिसमें अधिवेशन में किया जाने वाला कामकाज और उन सभी प्रस्तावों की विषयवस्तु जिनको प्रस्तुत करने की सूचना लिखित रूप में उनके पास पहले पहुँच चुकी है तथा प्रस्तावों के प्रस्तावकों के नाम प्रदर्शित किये जाएँगे।

(2) यदि कोई सदस्य ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करना चाहता है जो कि प्रारंभिक कार्यसूची के कागज-पत्र में सम्मिलित नहीं है या ऐसे कागज-पत्र में सम्मिलित किसी मद में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव करना चाहता है तो वह सचिव को उसकी सूचना अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कम से कम पूरे पंद्रह दिन पहले देगा।

(3) सचिव, अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कम से कम 15 दिन पहले और विशेष अधिवेशन की दशा में अधिवेशन की सूचना के साथ, पूर्ण कार्यसूची के कागज-पत्र जारी करेगा जिसमें कि अधिवेशन में किया जाने वाला काम काज दर्शित होगा।

(4) यदि कोई सदस्य, पूर्ण कार्यसूची के कागज-पत्र में सम्मिलित किसी ऐसी मद में संशोधन पेश करना चाहता है जो प्रारंभिक कार्यसूची के कागज-पत्र में सम्मिलित नहीं है तो वह उनकी सूचना सचिव को अधिवेशन की नियत तारीख से कम से कम 3 दिन पहले देगा।

(5) यदि समय मिले तो सचिव, उन सभी संशोधनों की सूची, जिनकी सूचना उपविनियम (4) के अधीन दी गई है, प्रत्येक सदस्य को, उसके प्रयोग के लिए उपलब्ध करायेगा;

परन्तु यदि केंद्रीय परिषद् सहमत हो तो अध्यक्ष, अधिवेशन में किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने की अनुज्ञा, इस तथ्य के होते हुए भी दे सकता है कि ऐसे प्रस्ताव की सूचना इतने विलम्ब से दी गयी कि इस विनियम का पालन नहीं हो पाया है, परन्तु यह भी कि इस विनियम की कोई बात, विशेष परिस्थितियों में कार्यकारिणी समिति द्वारा किसी विशेष निर्देश को केंद्रीय परिषद् के समक्ष उसके किसी ऐसे अधिवेशन से करने पर रोक नहीं लगाती है जो इस विनियम के अधीन अपेक्षित सूचना की अनुमति देने के लिए कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन के पश्चात् तुरंत या अतिशीघ्र हो।

**7. प्रस्ताव की ग्राह्यता:-** (1) अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को निम्नलिखित परिस्थितियों में नामंजूर करेगा:-

(i) यदि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में है जो केंद्रीय परिषद् के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं है,

(ii) यदि प्रस्ताव में सारभूत रूप से उसी प्रश्न को प्रस्ताव या संशोधन के रूप में उठाया गया है जो उस अधिवेशन की तारीख जिसमें ऐसा प्रश्न पेश किया जाना है, पिछले एक वर्ष के अन्दर परिषद् कि इजाज़त से पेश किया जा चुका है या वापस ले लिया गया है;

परन्तु ऐसे प्रस्ताव को केंद्रीय परिषद् के ऐसे विशेष अधिवेशन में ग्रहण किया जा सकता है जो केंद्रीय परिषद् के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों की अध्यक्षता पर इस प्रयोजन के लिए बुलाया गया हो,

परन्तु यह कि इन विनियमों की कोई बात किसी ऐसे विषय पर आगे विचार विमर्श किये जाने को प्रतिबद्ध नहीं करती है जिसे केंद्रीय परिषद् को केंद्रीय सरकार ने अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का प्रयोग करते हुए, निर्देशित किया हो।

(iii) यदि प्रस्ताव को निश्चित रूप में यथेष्ट तरीके से और ठीक ठीक अभिव्यक्त न किया गया हो और सारभूत रूप से उठाया न गया हो,

(iv) यदि इसमें तर्क, निष्कर्ष, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति, लांछन या हानिकारक कथन हो:

परन्तु यदि कोई प्रस्ताव संशोधन करने से ग्राह्य हो जाता है तो अध्यक्ष इस प्रस्ताव को नामंजूर करने के वजाय उसे संशोधित रूप में ग्रहण कर सकता है।

(2) यदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को नामंजूर या संशोधित कर देता है तो सचिव उस सदस्य को, जिसने प्रस्ताव की सूचना दी थी, उस प्रस्ताव की नामंजूरी के आदेश या संशोधित रूप में यह प्रस्ताव ग्रहण किया गया है, उस रूप की जानकारी देगा।

#### 8. केंद्रीय परिषद् के अधिवेशनों में कामकाज का संचालन :

(1) केंद्रीय परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन कि अध्यक्षता, अध्यक्ष करेगा या यदि वह अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा या यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपनों में से निर्वाचित अध्यक्ष करेगा।

(2) अध्यक्ष के प्रति किये गए सभी निर्देश, उस व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे जो उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।

9. **अधिवेशन के लिए गणपूर्ति:** यदि अधिवेशन के लिए नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती और यदि उस अधिवेशन के लिए नियत समय से तीस मिनट समाप्त होने पर या किसी अधिवेशन के दौरान गणपूर्ति नहीं होती है तो अधिवेशन भविष्य में ऐसे समय और तारीख के लिए स्थगित हो जायेगा जो अध्यक्ष नियत करे और गणपूर्ति, केंद्रीय परिषद् के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से होगी।

10. **हाथ उठाकर या बैलेट द्वारा मतदान:** (1) केंद्रीय परिषद् द्वारा प्रत्येक विषय की अवधारणा, किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव पेश किये जाने और उसे अध्यक्ष द्वारा केंद्रीय परिषद् के समक्ष रखे जाने पर, की जाएगी।

(2) मत हाथ उठाकर या मतपत्र द्वारा जैसा भी अध्यक्ष निर्देश करे, लिया जायेगा

परन्तु मतपत्र (बैलेट) द्वारा मत तभी लिए जायेंगे जब पांच सदस्य ऐसा करने की इच्छा करें और लिखित में उसकी मांग करें।

परन्तु यह और कि यदि मतदान हाथ उठाकर किया जाता है तो विभाजन उसी दशा में

किया जायेगा जब कम से कम एक सदस्य उसकी मांग करे।

11. **समान प्रस्ताव:** यदि एक ही तात्पर्य के समान प्रस्ताव दो या दो से अधिक सदस्यों के नाम से हो तो अध्यक्ष यह निश्चय करेगा कि किसका प्रस्ताव पेश किया जायेगा और तत्पश्चात् अन्य प्रस्ताव या प्रस्तावों को वापस ले लिया गया समझा जायेगा।

12. **प्रस्ताव का अनुमोदन:** (1) प्रत्येक प्रस्ताव या संशोधन का अनुमोदन किया जायेगा और यदि उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो यह वापस ले लिया गया समझा जायेगा।

(2) यदि प्रस्ताव का अनुमोदन कर लिया जाता है तो उसका कथन अध्यक्ष करेगा।

(3) जब प्रस्ताव का इस प्रकार से कथन कर दिया जाता है तब उस पर इस प्रश्न का निश्चय करने के लिये विचार विमर्श किया जा सकता है कि उसे स्वीकर किया जाये या अस्वीकर किया जाये अथवा कोई सदस्य उस प्रस्ताव में, विनियम 13 और 14 के अधीन, संशोधन पेश कर सकता है;

परन्तु अध्यक्ष किसी ऐसे प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति नहीं देगा जो मूल प्रस्ताव होने की दशा में, विनियम 5 के अधीन अग्रह्य हो।

13. **संशोधन, प्रस्ताव को सुसंगत होना चाहिए:** (1) संशोधन सुसंगत होना चाहिए और जिसके लिए इसे प्रस्तावित किया गया है उस विषय के अंतर्गत होना चाहिए।

(2) ऐसा संशोधन पेश नहीं किया जा सकता जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत प्राप्त करना हो,

(3) अध्यक्ष किसी संशोधन को, जो उसकी राय में तुच्छ है उसे केंद्रीय परिषद् को भेजने से मना कर सकता है।

14. **प्रस्ताव को कैसे संशोधित किया जाये :-** प्रस्ताव को, शब्द हटाकर, अंतः स्थापित कर, जोड़कर या शब्द या आंकड़े प्रतिस्थापित कर और रखकर संशोधित किया जा सकता है।

15- **प्रस्ताव के सम्बन्ध में सुझाव:** जिस समय किसी प्रस्ताव या संशोधन पर विचार विमर्श हो रहा हो तो प्रस्ताव में संशोधन या आशोधन जैसा भी मामला हो, के अलावा प्रस्ताव पर कोई सुझाव नहीं दिया जायेगा जैसा कि विनियम 12 में उल्लेख किया गया है।

16- **प्रस्ताव इत्यादि कैसे वापिस लिया जायेगा:** ऐसा प्रस्ताव या संशोधन जो पेश और अनुमोदित किया गया हो, केंद्रीय परिषद् की इजाजत के सिवाय वापिस नहीं लिया जायेगा किन्तु यदि कोई सदस्य यह इजाजत देने से असहमति प्रकट करता है तो इजाजत नहीं दी गई समझी जाएगी।

17- **प्रस्ताव पर बोलने का क्रम:** जब प्रस्ताव पेश और अनुमोदित कर दिया जाता है तो प्रस्तावक और अनुमोदक से भिन्न सदस्य प्रस्ताव के बारे में उस क्रम के अनुसार बोल सकते हैं जैसा अध्यक्ष निदेश करे।

परन्तु प्रस्ताव या संशोधन का अनुमोदक, अध्यक्ष की अनुमति से, अपने भाषण की यथास्थिति प्रस्ताव या संशोधन का केवल अनुमोदन करने के लिए सीमित रख सकता है और विचार विमर्श के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम पर उसके बारे में बोल सकता है।

18- **अध्यक्ष द्वारा आपत्ति आदि:** अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष किसी भी समय विचार विमर्श में सदस्यों की सहायतार्थ, किसी मद् की व्याख्या करने के लिए कोई आपत्ति कर सकता है या कोई सुझाव जारी या जानकारी दे सकता है।

19. **सदस्य, प्रस्ताव या संशोधन पर कैसे बोले:-** (1) मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक को और यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी गयी है तो संशोधन के प्रस्तावक को अंतिम उत्तर देने का अधिकार प्राप्त होगा कोई भी अन्य सदस्य किसी विचार विमर्श में निजी स्पष्टीकरण देने या उस समय परिषद् को संबोधित करने वाले सदस्य से प्रश्न पूछने के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष की अनुमति से ही एक बार से अधिक नहीं बोलेगा।

परन्तु कोई सदस्य विचार विमर्श के दौरान किसी बिंदु पर कोई आपत्ति उठा सकता है, किन्तु उस मुद्दे पर कोई भाषण करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

परन्तु यह और कि कोई ऐसा सदस्य, जो प्रस्ताव के बारे में बोल चुका है उस प्रस्ताव में पेश किये गए संशोधन के बारे में फिर से बोल सकता है।

(2) कोई भी सदस्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेगा,

परन्तु प्रस्ताव पेश करने वाला प्रस्तावक अपना प्रस्ताव पेश करते समय दस मिनट तक बोल सकता है।

(3) जिस प्रस्ताव या संशोधन पर भाषण किया जाना है वह निश्चय ही उसके विषय वस्तु तक सीमित रहेगा।

(4) यदि वह सदस्य जिसके नाम से कोई प्रस्ताव या संशोधन पेश किया जाने वाला है, अधिवेशन से अनुपस्थित है या उसे पेश करने का इच्छुक नहीं है तो कोई दूसरा सदस्य भी अध्यक्ष की अनुमति से उसे पेश कर सकता है।

20. **सदस्य द्वारा टिप्पणी :** (1) कोई सदस्य जो परिषद् के समक्ष किसी विषय के बारे में कोई टीका टिप्पणी करना चाहता है, अध्यक्ष की अनुमति से अपने स्थान से उठेगा और अध्यक्ष को संबोधित करेगा।

(2) यदि अध्यक्ष किसी समय खड़ा हो जाता है तो जो सदस्य उस समय बोल रहा है वह तुरंत अपने स्थान पर बैठ जायेगा।

21. **कामकाज के बारे में सदस्य को सुनना :** सदस्य को केंद्रीय परिषद् के समक्ष काम काज के बारे में ही सुना जायेगा अन्यथा नहीं।

22. **प्रस्ताव में संशोधन:-** (1) जब किसी प्रस्ताव में संशोधन पेश और अनुमोदित किया जाता है या जब किसी सदस्य के दो या दो से अधिक संशोधन पेश और अनुमोदित किये जाते हैं तब अध्यक्ष उसके बारे में परिषद् की राय जानने से पूर्व केंद्रीय परिषद् के समक्ष मूल प्रस्ताव और प्रस्तावित संशोधन या संशोधनों को कहेगा अथवा पढ़ कर सुनाएगा।

(2) प्रस्ताव के संशोधन से पूर्व मत दान कराया जायेगा।

(3) यदि प्रस्ताव में एक से अधिक संशोधन प्राप्त हो तो अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उन पर किस क्रम में विचार किया जायेगा।

23. **प्रस्ताव जिसमें अनेक मुद्दे शामिल हों:-** जब किसी ऐसे प्रस्ताव पर जिनमें अनेक मुद्दे हैं, विचार विमर्श किया जा चुका है, तब अध्यक्ष का विशेषाधिकार होगा कि वह प्रस्ताव को विभाजित करे और प्रत्येक या किसी मुद्दे को मतदान के लिए ऐसे अलग-अलग रूप में रखे जैसे वह ठीक समझे।

**24. अधिवेशन को स्थगित करना:-** (1) यदि अध्यक्ष अनिवार्यताओं के कारण आवश्यक समझता है तो वह किसी समय किसी अधिवेशन को भविष्य में किसी दिन के लिए या उसी दिन किसी अन्य समय के लिए स्थगित कर सकता है, और उसके लिए कारणों का कथन कर सकता है।

(2) जब कभी किसी भी अधिवेशन को भविष्य के लिए स्थगित किया जाता है तब सचिव यदि संभव हो तो उसके स्थगन की सूचना ऐसे प्रत्येक सदस्य को भेजेगा जो ऐसे अधिवेशन में उपस्थित नहीं था।

(3) जब अधिवेशन भविष्य के लिए स्थगित हो गया है तब अध्यक्ष विवश करने वाले कारणों से ऐसे अधिवेशनो का दिन पुनः परिवर्तित कर सकता है और सचिव, प्रत्येक सदस्य को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना भेजेगा।

(4) भविष्य में किसी दिन के लिए स्थगित अधिवेशन में किसी ऐसे प्रस्तावों पर विचार किये जाने के लिए जो पूर्ववर्ती दिन से लंबित हैं, कार्यक्रम के अन्य विषयों पर प्राथमिकता दी जाएगी, किन्तु तब नहीं जब कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश दे।

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य अधिवेशन के आरम्भ होने के समय या अधिवेशन के दौरान किसी मद पर चर्चा के समापन के पश्चात्, कामकाज के कार्यक्रम में किसी परिवर्तन का सुझाव दे सकता है और यदि केंद्रीय परिषद् इससे सहमत हो तो परिवर्तन कर दिया जाएगा।

(6) जो मद मूल अधिवेशन के हिस्सा नहीं थे उन पर मूल अधिवेशन की मद पर चर्चा की समाप्ति के पश्चात् चर्चा होगी।

(7) स्थगित अधिवेशन हेतु वही गणपूर्ति आवश्यक होगी जो कि एक साधारण अधिवेशन हेतु आवश्यक होती है।

**25. अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था का क्रम निर्धारण:-** अध्यक्ष आपत्ति के उन सभी मुद्दों के बारे में विनिश्चय करेगा जो कि उठाये जायेंगे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) यदि कोई प्रश्न किसी ऐसे विषय से सम्बंधित प्रक्रिया के बारे में उठता है जिसके लिए विनियमों में कोई उपबन्ध नहीं है तो अध्यक्ष उसका विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) अध्यक्ष किसी ऐसे काम काज के बारे में जिस पर विचार और विनिश्चय करना, परिषद् या कार्यकारिणी समिति के लिए, आवश्यक हो, यह निर्देश देगा कि वह काम काज परिषद् या कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बीच परिषद् परिचालित करके दिया जायेगा।

परन्तु यदि केंद्रीय परिषद् के दस सदस्य या कार्यकारिणी समिति के तीन सदस्य जैसा मामला हो, चाहते हों कि किसी विशेष विषय का विनिश्चय परिचालन के बजाए अधिवेशन में किया जाये तो वह विषय केन्द्रीय परिषद् या कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में रखा जाएगा।

(4) यदि कोई संकल्प या कार्यसूची जिसे उपर्युक्त रूप में परिचालित किया जाता है और उस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से बहु संख्यक सदस्यों ने इसे अनुमोदित कर दिया है तो वह उसी प्रकार आवद्ध होगा जैसा कि परिषद् अथवा कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में पारित किया गया कोई संकल्प होता है।

**26. प्रेस के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिवेशन में आमंत्रित परिदर्शक:-** अध्यक्ष के निदेशानुसार प्रेस के चार प्रतिनिधियों को और अन्य परिदर्शकों को जो किसी एक समय पर चार से अधिक न हों, सचिव से प्राप्त अनुज्ञा पत्र (परमिट) प्रस्तुत करने पर अधिवेशन में प्रवेश दिया जाएगा। प्रेस के प्रतिनिधियों को रिपोर्ट प्रकाशन से पूर्व सचिव से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। अध्यक्ष किसी भी समय बंद कमरे में अधिवेशन कर सकता है और ऐसी दशा में सभी परिदर्शकों को वहाँ से जाना होगा।

**27. बैठकों कि कार्यवाहियों को मुद्रित करना:-** केंद्रीय परिषद् के अधिवेशनों की कार्यवाहियाँ व निर्णय मुद्रित कार्यवृत्त के रूप में परिरक्षित की जाएँगी, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा।

**28. कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होंगे:-** प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा अध्यक्ष द्वारा सत्यापित होगी, तत्पश्चात् उन्हें प्रत्येक सदस्य को तीस दिनों के अन्दर प्रेषित किया जाएगा।

**29. कार्यवृत्त की विषय वस्तु:-** प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त में ऐसे प्रस्तावों और संशोधनों को उनके प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम सहित समाहित किया जाएगा जो पेश और पारित अथवा अस्वीकार किये गये हों किन्तु उनमें न तो ऐसी कोई आलोचना होगी और न कोई ऐसी टीका टिप्पणी का अभिलेख होगा जो अधिवेशन में किसी सदस्य ने की हो।

**30. कार्यवृत्त पर आपत्ति:-** यदि कार्यवृत्त की शुद्धता के बारे में कोई आपत्ति, सचिव द्वारा भेजे जाने के तीस दिन के अन्दर प्राप्त होती है तो या अभिलेखित और अनुप्रमाणित कार्यवृत्त के साथ वह आपत्ति परिषद् के आगामी अधिवेशन में पुष्टि हेतु रखी जायेगी तथा अधिवेशन के कार्यवृत्त की शुद्धता के अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।

परन्तु यदि अधिवेशन में केंद्रीय परिषद् द्वारा किए गये किसी विनिश्चय के बारे में कोई आपत्ति सचिव द्वारा ऐसे काम के कार्यवृत्त के भेजे जाने में तीस दिन के अन्दर प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे विनिश्चय को पुष्टि हेतु रखा जाएगा।

परन्तु अध्यक्ष यह निर्देश दे सकता है कि परिषद् के विनिश्चय पर तीस दिवस से पूर्व भी कार्यवाही की जाए।

31. **कार्यवृत्तों के खण्ड:-** पुष्टिकरण के पश्चात् परिषद् के कार्यवृत्त जैसे ही व्यवहार्य होते हैं, उन्हें शीघ्रता से सीटों में तैयार किया जाएगा ताकि उनका खण्ड तैयार किया जा सके तथा स्थायी रूप से परिरक्षित किया जा सके। ऐसी एक प्रति केंद्रीय परिषद् के प्रत्येक सदस्य को मुफ्त में प्रेषित की जाएगी और जनता को ऐसी प्रतियाँ केंद्रीय परिषद् द्वारा नियमित कीमत पर विक्रय की जाएगी।

32. **बैठकों के कार्यवृत्त को सही रूप में रखना:-** केंद्रीय परिषद् की बैठकों में किए गए विचार विमर्श और टीका टिप्पणी में विवरणों को यथा संभव सही रूप में परिषद् के सदस्यों हेतु रखा जाएगा जो कि सदस्यों के निरीक्षण हेतु रखी जायेगी, कार्यवृत्त की प्रति पूर्ण अथवा अंशतः सदस्य को बिना किसी शुल्क मागे जाने पर दी जाएगी।

33. **अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य:-**

(1) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि केंद्रीय परिषद् अधिनियम के उपबंधों, विनियमों तथा स्थायी आदेशों में दिए गए हों। वह ऐसे कार्य करेगा जो कि उन उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए वह आवश्यक समझेगा, जिनके लिए केंद्रीय परिषद् की स्थापना की गई है। अध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख भी होगा, उसे प्रत्येक मामले में बीस हजार रुपये स्वीकृत करने का अधिकार होगा तथा बीस हजार से अधिक संबंधित समिति की संस्तुति पर मंजूर बजट से अध्यक्ष मंजूर कर सकता है।

(2) अत्यावश्यक दशाओं में अध्यक्ष आवश्यक कदम उठा सकता है तथा तथ्य कार्यकारिणी समिति तथा केंद्रीय परिषद् में रख सकता है।

परन्तु यह कि प्रमुख नीतिगत या सैद्धांतिक मामलों में अनुमोदन की प्रत्याशा में ऐसी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

34. **उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष की शक्तियों इत्यादि का प्रयोग:-** यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है अथवा अध्यक्ष किसी भी कारण से कार्यालय में अपनी शक्तियों अथवा कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उपाध्यक्ष, उसके स्थान पर कार्य करेगा तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

35. **सदस्य द्वारा त्यागपत्र:-** यदि कोई सदस्य केंद्रीय परिषद् में अपने स्थान का त्याग करना चाहता है तो वह लिखित रूप में अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को भेजेगा तथा त्यागपत्र उसके द्वारा निर्दिष्ट तिथि या अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार करने की तिथि से, इसमें जो भी पश्चवर्ती तिथि हो, से संबंधित सदस्य से पुष्टि के उपरांत, प्रभावी होगा।

36. **उपाध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र:-** यदि उपाध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह लिखित में अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। उसका त्यागपत्र उसके द्वारा लिखित तिथि अथवा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करने, जो भी पश्चवर्ती तिथि हो, उपाध्यक्ष से पुष्टि के पश्चात् लागू होगा।

37. **आकस्मिक रिक्ति की सूचना:-** यदि उपाध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की मृत्यु या उसके पद त्याग के कारण आकस्मिक रिक्ति होती है तो अध्यक्ष उसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को उचित कार्यवाही हेतु करेगा।

38. **कार्यकारिणी समिति की अधिवेशन की प्रक्रिया:** जब उपाध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की मृत्यु या उसके त्यागपत्र के कारण आकस्मिक रिक्ति होती है तो अध्यक्ष उसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को उचित कार्यवाही हेतु करेगा।

39. कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन साधारणतया उन विनियमों से लागू होंगे जो कि केंद्रीय परिषद् हेतु लागू होते हैं।

40. **कार्यकारिणी समिति की अधिवेशन हेतु गणपूर्ति:-** (1) यदि कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन के लिए निर्धारित समय पर गणपूर्ति नहीं होती है तो वह अधिवेशन तब तक आरम्भ नहीं होगी जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती और यदि अधिवेशन के लिए नियत समय से एक घंटे का अवसान होने पर या किसी अधिवेशन के दौरान गणपूर्ति नहीं रहती है तो अधिवेशन भविष्य में ऐसी तिथि और समय के लिए स्थगित हो जायेगा जो की अध्यक्ष तय करेगा।

(2) कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

41. **सदस्य द्वारा अध्यक्षता:-** यदि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित न हों तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य का अध्यक्षता करने हेतु चुनाव करेंगे।

42. **स्थगित अधिवेशन हेतु गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी:-** जब कार्यकारिणी समिति की अधिवेशन का गणपूर्ति नहीं होने के कारण स्थगित किया जाता है तो स्थगित अधिवेशन के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

43. **कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल:-** (1) कार्यकारिणी समिति की अवधि केंद्रीय परिषद् के सदस्यों में से इसके सदस्यों के गठन की तिथि से पांच वर्ष के लिए होगी।

परन्तु यदि कार्यकारिणी समिति में केंद्रीय परिषद् के सदस्य की मृत्यु अथवा पद से त्यागपत्र देने अथवा सदस्यता समाप्त होने से अथवा किसी भी कारण से पद रिक्त होता है तो शेष समय के लिए, केंद्रीय परिषद् के सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा पद को भरा जाएगा।

(2) कार्यकारिणी समिति का सदस्य पुनः निर्वाचन होने हेतु योग्य होगा।

44. **अध्यक्ष अन्य सदस्य को कार्यकारिणी समिति की अधिवेशन में आमंत्रित कर सकता है:-** अध्यक्ष परिषद् के किसी ऐसे सदस्य को जो कार्यकारिणी समिति का सदस्य नहीं हो, कार्यकारिणी समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इस प्रकार आमंत्रित सदस्य को कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन में विचार विमर्श में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी किन्तु वह मतदान का अधिकारी नहीं होगा।

45. **कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन का समय, स्थान इत्यादि:-** (1) कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन का समय व स्थान वही होगा जो कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(2) कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन की सूचना व कार्यसूची साधारण अधिवेशन से कम से कम इक्कीस तथा बारह दिन पूर्व दी जाएगी।

परन्तु कार्यकारिणी समिति के कम से कम चार सदस्यों द्वारा किसी उद्देश्य हेतु हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो कि कार्यकारिणी समिति के कार्यक्षेत्र में हो, अध्यक्ष, दस दिन की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुला सकता है।

46. **कार्यकारिणी समिति द्वारा रिपोर्टों पर विचार विमर्श:-** कार्यकारिणी समिति केन्द्रीय परिषद् अथवा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किसी भी विषय की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करेगी।

47. **पाठ्यक्रम इत्यादि की रिपोर्ट पर विचार विमर्श:-** कार्यकारिणी समिति पाठ्यक्रम, शिक्षण और परीक्षाओं की सुविधाओं से सम्बंधित तथा परीक्षाओं के बारे में निरीक्षकों तथा परिदर्शकों द्वारा दी गयी रिपोर्ट पर विचार विमर्श करेगी तथा केन्द्रीय परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उन पर रिपोर्ट तैयार करेगी।

48. **कार्यकारिणी समिति की शक्तियां व कार्य:-** कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय परिषद् द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु परिषद् की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी और उसे अन्य समितियों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़ कर अन्य के बारे में निर्णय लेने की शक्ति होगी तथा यह केन्द्रीय परिषद् के प्रशासनिक प्रकृति के सभी कार्य करेगी।

49. **कार्यकारिणी समिति के अधिवेशन के कार्यवृत्त अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे:-** (1) कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति अधिवेशन के दिन से पंद्रह दिन के अन्दर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात् कार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को अधिवेशन हो जाने से बीस दिन के अंदर भेज दिया जाएगा।

(2) कार्यवृत्त भेजे जाने के दिन से पन्द्रह दिन के अंदर कार्यवृत्त की शुद्धता के संबंध में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उसमें जो विनिश्चय किये गए हैं, उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात् कार्यवृत्त केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों को भेजे जाएंगे।

परन्तु अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के विनिश्चय पर उपर्युक्त पन्द्रह दिन की अवधि से पहले कार्यवाही करने हेतु आदेश दे सकता है।

50. **समितियां:-** (1) केन्द्रीय परिषद् निम्न समितियों का गठन करेगी नामतः:-

- (i) शिक्षा समिति ;
  - (ii) विनियम समिति;
  - (iii) वित्त समिति;
  - (iv) पंजीकरण समिति ;
  - (v) स्नातकोत्तर समिति;
- (2) उप विनियम (1) में संदर्भित प्रत्येक समितियों के सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे।
- (3) उप विनियम (1) में से संदर्भित समितियों के निम्न कार्य होंगे:-
- (i) शिक्षा समिति पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या शिक्षण, परीक्षा, परिणाम, परीक्षा में पुनः प्रवेश, पात्रता, गृह शिक्षता, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षकवृन्द की संख्या, शैक्षिक संकाय की संख्या, विभाग, पुस्तकालय, उपकरण, संलग्न होम्योपैथिक अस्पताल (बाह्य रोगी विभाग, अंतः रोगी विभाग, सम्बंधित सुविधाएं, कर्मचारी वृन्द, तथा कार्य प्रणाली सहित) तथा अन्य स्नातक स्तर के मामलों को देखेगी;
  - (ii) स्नातकोत्तर शिक्षा समिति पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या शिक्षण, परीक्षा, परिणाम, परीक्षा में पुनः प्रवेश, पात्रता, हाउस जॉब, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षकवृन्द की संख्या, शिक्षण संकाय की संख्या, विभाग, पुस्तकालय, उपकरण, संलग्न होम्योपैथिक अस्पताल (अंतः रोगी विभाग स्वंचित

- सुविधायें, कर्मचारी वृन्द, तथा कार्य प्रणाली सहित) तथा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा सम्बन्धित मामले देखेगी ;
- (iii) विनियम समिति अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों से सम्बन्धित मामलों को देखेगी;
- (iv) वित्त समिति, बजट अनुमान, संशोधित बजट अनुमान, अंतिम अनुमान, वार्षिक लेखे तथा केंद्रीय परिषद् के अन्य वित्त सम्बन्धित मामलों को देखने हेतु ;
- (v) पंजीकरण समिति केन्द्रीय होम्योपैथिक पंजिका, केन्द्रीय परिषद् से सीधे पंजीकरण सम्बन्धित मामले तथा अन्य पंजीकरण सम्बन्धित मामले देखने हेतु ;
- (4) उप विनियम (1) में संदर्भित प्रत्येक समिति को अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा । परन्तु यह कि उक्त समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों की पुष्टि केन्द्रीय परिषद् के अनुसमर्थन के अधीन होगी यदि :-
- (i) व्यापक नीति के संबंधित मामले शामिल हों;
- (ii) जब किसी समिति के निर्णय से ऐसी मदों पर व्यय, मंजूर बजट में से प्रति वर्ष बीस हजार रुपये से अधिक हो;
- (iii) अधिनियम, विनियमों अथवा, केन्द्रीय परिषद् में स्थायी आदेशों के प्रावधानों के अनुसार, उक्त परिषद् के आदेश आवश्यक हो;
- (5) इन प्रत्येक समितियों के अध्यक्ष का चुनाव सम्बन्धित समितियों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
- (6) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले प्राधिकारी अपने में से एक सदस्य को उप विनियम (1) में उल्लेखित समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगी । निर्वाचन अधिकारी, जिसका चयन हुआ हो उपस्थित सभी सदस्यों को अधिवेशन बुलाकर प्रत्येक समिति के गठन हेतु एक प्रस्ताव निर्धारित समय सीमा तय करेगा जो कि अधिवेशन के दिन लागू रहेगा, तथा यदि समिति के लिए एक से अधिक नाम प्राप्त होते हैं तो निर्वाचन अधिकारी नामित प्रार्थी सदस्य में से सम्बन्धित समिति हेतु वोटों द्वारा चुनाव करवा सकता है तथा वोटों की गिनती के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी जिस सदस्य को सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए हों, उसे समिति का सदस्य घोषित का सकता है ।
- (7) उप विनियम (1) में संदर्भित समिति के गठन के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा जिसमें प्रस्तावक समिति के सदस्य का नाम प्रस्तावित करेगा तथा कोई भी सदस्य बाद में अन्य सदस्यों में नाम हेतु संशोधन का प्रस्ताव पेश कर सकता है ।
- (8) यदि समिति के प्रस्तावित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, समिति गठन के लिए आवश्यक संख्या से अधिक नहीं हो तो उन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा सर्वमत से समिति हेतु निर्वाचित सदस्य घोषित किया जाएगा । प्रस्तावित सदस्यों की संख्या समिति के गठन के लिए आवश्यक सदस्यों से अधिक हो तो, निर्वाचन वोटों द्वारा किया जाएगा तथा आवश्यक सदस्य संख्या तक, जिन्हें सर्वाधिक मत प्राप्त हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।
- परन्तु यह कि यदि इसमें दो या दो से अधिक प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त हुए हों तथा यदि दो या दो से अधिक समान मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों के मत अन्य प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त मतों से अधिक हो, ऐसे प्रत्याशियों के बीच ड्रा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा तथा प्रत्यासी जिसके नाम से मत पड़ेगा, निर्वाचित घोषित होगा ।
- 51.(1) केन्द्रीय परिषद् किसी समय इस आशय के प्रस्ताव पारित कर अन्य कोई समिति नियुक्त कर सकती है ।
- (2) इस प्रकार से समिति के गठन के प्रस्ताव में समिति की शक्तियाँ और कार्य स्पष्ट होंगे तथा इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी ।
- (3) कोई भी सदस्य बिना सूचना के ऐसे प्रस्तावों में संशोधन प्रस्तावित कर सकता है ताकि कार्य और शक्तियाँ अथवा इसके सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जा सके ।



**52. समितियों की कार्यवाही:-** (1) समितियों की कार्यवाहियां लागू विनियमों में प्रावधानों के अनुसार होगी।

परन्तु ऐसे परंतुक पर अध्यक्ष के विवेकानुसार समय समय पर छूट दी जा सकती है।

(2) केन्द्रीय परिषद् द्वारा गठित समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा तैयार रिपोर्ट में अध्यक्ष के विलेख के अनुसार शामिल होंगे तथा समिति के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित विसंभावी टिप्पणी सहित संलग्न कर केन्द्रीय परिषद् के अगले अधिवेशन में दिए जाएंगे।

**53. समितियों के सदस्य:-** (1) साधारणतया प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या सात से अधिक नहीं होगी।

(2) केन्द्रीय परिषद् का कोई सदस्य दो समितियों से अधिक हेतु निर्वाचित अथवा नियुक्त नहीं होगा।

(3) विनियम 50 के उपविनियम (1) में संदर्भित समिति के लिए निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल ढाई वर्ष का होगा, कार्यकारिणी समिति के सदस्य हेतु उसके निर्वाचन तिथि से केन्द्रीय परिषद् की सदस्य समापन होने तक जो भी पहले हो, होगी।

परन्तु यदि समिति में त्यागपत्र अथवा केन्द्रीय परिषद् कि सदस्यता समापन के कारण अथवा रिक्त होने के कारण से यदि कोई आकास्मिक पद रिक्त होता है तो रिक्त पद को शेष समयावधि के लिए केन्द्रीय परिषद् के सदस्य के बीच से निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा।

(4) एक समिति का सदस्य पुनः निर्वाचित होने का पात्र होगा।

(5) किसी समिति का अध्यक्ष अपने पद से लिखित में, अध्यक्ष को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है, उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति की तिथि से लागू होगा।

(6) यदि अध्यक्ष की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से आकास्मिक रिक्ति होती है, तो समिति, शेष अवधि के लिए सदस्यों में से नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी।

(7) परिषद् के अध्यक्ष की सहमति से समिति का अध्यक्ष अधिक से अधिक एक ऐसे सदस्य को जो कि उस विशिष्ट समिति का सदस्य नहीं हो, अधिवेशन में आमंत्रित कर सकता है, इस प्रकार से सदस्य को समिति के विचार विमर्श में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी। किन्तु वह मतदान में भाग नहीं ले सकेगा।

परन्तु यदि वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं हो तो किसी समिति का अध्यक्ष परिषद् के अध्यक्ष की सहमति से किसी भी संख्या में सदस्यों को आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित सदस्यों को उस समिति के विचार विमर्श में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी किन्तु उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

**54. रजिस्ट्रार की पदावधि:** सचिव अथवा रजिस्ट्रार की पदावधि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति के समय निर्धारित होगी। वह 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सामान्यतया सेवानिवृत्त हो जायेगा, किन्तु उस दशा में नहीं जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा अवधारित किया गया हो।

परन्तु केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 60 वर्ष की आयु के आगे सेवा का समय अधिक से अधिक 2 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

**55. रजिस्ट्रार के कर्तव्य:** रजिस्ट्रार केन्द्रीय परिषद् का कार्यपालक अधिकारी होगा।

(1) वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि अधिनियम तथा विनियमों द्वारा सौंपे गए हों और जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिनियम के प्रयोजन हेतु समय-2 पर सौंपे गए हों। वह परिषद् की सम्पत्ति कि सुरक्षा, कार्यालय का नियंत्रण और प्रबंधन तथा लेखा और पत्राचार के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) वह कार्यालय कर्मचारियों के समय पर कार्यालय उपस्थिति के लिए उत्तरदायी होगा तथा तथा ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन होगा जिनकी अपेक्षा अधिनियम के प्रयोजन हेतु उससे की जाती है। वह उक्त परिषद्, कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों की कार्यवाही में उपस्थित रहेगा और उन्हें टिप्पणीत करेगा।

**56. रजिस्ट्रार द्वारा रिक्त पदों का ध्यान रखना:-** रजिस्ट्रार परिषद् के किसी सदस्य की पदावधि के अवसान होने से कम से कम 90 दिन पहले केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा, ताकि जिस तिथि को ऐसी रिक्त होनी है, उस तिथि से नए सदस्य को विनिर्दिष्ट अथवा निर्वाचित किया जा सके।

**57. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति:-** परिषद् के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त होंगे।

परन्तु परिषद् अपने विवेकानुसार अनुसचिवीय या निम्नतर ग्रेड के कर्मचारी वृन्द के किसी सदस्य की पदावधि केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से किसी भी समयावधि के लिए, जो कि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, बढ़ा सकती है।

**58. कर्मचारी वृन्दों के कर्तव्य:-** कर्मचारी वृन्द के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, जैसे कि परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार कि पूर्वानुमति से ऐसे प्रयोजनों के लिए विरचित स्थायी आदेशों में समय समय पर अधिकथित हों।

**59. लिपिक इत्यादि कर्मचारी वृन्द:-**

- (1) रजिस्ट्रार, कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए लिपिकीय और ग्रुप 'घ' के कर्मचारीवृन्द नियुक्त करेगा और ऐसे अस्थायी कर्मियों को कार्य में लगा सकेगा जो समय समय पर अपेक्षित हों और ऐसे कर्मियों को उचित दर पर पारिश्रमिक का भुगतान कर सकेगा, परन्तु यह दर उस दर से अधिक नहीं होगी जोकि तत्समान स्थायी कर्मचारीवृन्द के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई हो। ये नियुक्तियाँ केंद्रीय सरकार द्वारा अनुसमर्थन के अधीन होगी।
- (2) केंद्रीय परिषद् कर्मचारियों वृन्दों पर वो सभी नियम, आचरण नियम अथवा अन्य नियम लागू होंगे जो कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू हैं।

**60. निर्दिष्ट अवधि के कार्य आउटसोर्सिंग के मध्यम से:-** कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, निर्दिष्ट समय के लिए आउटसोर्सिंग के लिए चयनित एक एजेंसी की श्रमशक्ति से कार्य पूर्ण कराएगा।

**61. अनुबंधित कर्मचारी:-** कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रार निर्दिष्ट कार्य के लिए एक कर्मचारी को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करेगा तथा वेतन एवं पारिश्रमिक का भुगतान पूर्व निर्धारित दर पर किया जायेगा।

परन्तु ऐसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा उसी कैडर में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित दर से अधिक न हो। ये नियुक्तियाँ केंद्रीय परिषद् के अनुमोदन के अधीन होगी।

**62. केंद्रीय परिषद् की परिसंपत्तियों के सन्दर्भ में कार्यकारिणी समिति की शक्तियाँ :-** केंद्रीय परिषद् के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी समिति ऐसे सभी कार्य और कृत्य जो परिषद् के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समचीन हों और उसमें से धन व्यय करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा और विशिष्ट रूप से तथा इस उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल डाले बिना कार्यकारिणी समिति को यह शक्ति होगी कि वह:-

- (i) परिषद् के संपत्ति की देखभाल का प्रबंध करे और केंद्रीय परिषद् की परिसम्पत्तियों का प्रबंध करे तथा उक्त प्रायोजन के लिए धन व्यय करे।
- (ii) सभी दरों, किराया, करों, वेतन, भत्ते तथा अन्य राशि का भुगतान करे।
- (iii) दान, ऋय विनियम, पट्टे द्वारा या अन्य तरीके से हस्तांतरित की गयी संपत्ति का वर्णन करें तथा परिषद् की किसी भूमि, भवन और अन्य चल अचल संपत्ति का विक्रम करे, उसे बंधक रखे या सुव्यवस्थित करे।
- (iv) किसी भवन अथवा संस्थानों का निर्माण, रख-रखाव, गिराना, बदलाव, विस्तार, विकसित करना तथा मरम्मत करे।
- (v) अपनी कोई भी शक्ति केंद्रीय परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति, किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी को प्रत्यायोजित करना।

परन्तु कार्यकारिणी समिति व्यय एवं अचल संपत्ति के बावत लिए गए किसी भी निर्णय की पूर्ण जानकारी केंद्रीय परिषद् के अगले अधिवेशन में देगी।

परन्तु यह और कि खण्ड (iii) और (iv) में वर्णित अचल संपत्ति जिसका मूल्य दस लाख से अधिक हो, का विक्रय, पट्टा अथवा अन्य अंतरण बिना केंद्रीय परिषद् की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

**63. केंद्रीय परिषद् द्वारा प्राप्त लाभ इत्यादि:-** केंद्रीय परिषद् को अपने व्ययों की पूर्ति के लिए निजी व्यक्तियों तथा संस्थाओं से लाभ तथा अंशदान लेने तथा रिपोर्ट व अन्य प्रकाशनों के विक्रय हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

**64. केन्द्रीय परिषद् के बैंक:-** (1) केन्द्रीय परिषद् के बैंक भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा अथवा कोई राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत कोई अन्य बैंक होगा।

(2) केंद्रीय परिषद् की सभी निधियों, परिषद् के खाते में उपरोक्त उप-विनियम (1) में वर्णित किसी बैंक में रखी जाएगी। अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित चैक से ही निधि की निकासी की जा सकती है।

**65. आधिक्य निधि का निवेश:-** केंद्रीय परिषद् की अतिरिक्त निधि जो कि सामयिक आवश्यकताओं से अधिक हो, रजिस्ट्रार, वित्त समिति की संस्तुति तथा कार्यकारिणी समिति की मंजूरी से, जैसा कि कार्यकारिणी समिति तथा केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय किया हो, निवेश करेगा:-

- (i) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के वचन पत्रों, स्टॉक अथवा अन्य प्रतिभूतियों में।
- (ii) स्टॉक अथवा डीबेन्चर्स अथवा कंपनी शेयरों, जिसमें भारत सरकार द्वारा व्याज की गारंटी दी गयी हो।
- (iii) भारत में, किसी विधानमंडल के किसी अधिनियम के प्राधिकरण के अधीन स्थापित अथवा पतन न्यास या नगर सुधार न्यास, नगर विकास ट्रस्ट, नगर पालिका सरकार द्वारा जारी किये गये डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों में।

**66. निधियों का केन्द्रीय परिषद् के नाम विनिधान:-** केन्द्रीय परिषद् की निधि का विनिधान परिषद् के नाम से ही किया जायेगा तथा सुरक्षा अधिकार प्राप्तियाँ रजिस्ट्रार के पास रखी जाएगी तथा विनियम 75 के अंतर्गत प्रत्येक छः माह में एक बार प्रतिभूति पंजिका (रजिस्ट्रार) द्वारा सत्यापित किया जायेगा। सत्यापन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिभूति पंजिका पर रिकॉर्ड किया जायेगा तथा अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

**67. वित्त समिति द्वारा प्राप्ति और व्यय का प्राक्कलन तैयार करना:-** वित्त समिति अगले वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय के व्योरे का प्राक्कलन तैयार करेगी तथा उसे कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के लिए उसके ऐसे अगले अधिवेशन में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष प्रथम सितम्बर से पूर्व में किया जाए। मंजूर किए गए प्राक्कलन की एक प्रति केन्द्रीय परिषद् तथा दूसरी प्रति सचिव, आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी, भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष प्रथम अक्टूबर तक प्रस्तुत की जाएगी।

**68. निधि को विनियोजित कैसे किया जाए:-** परिषद् की निधि का नियोजन किसी ऐसी मद पर व्यय के लिए नहीं किया जाएगा जिसके लिए उक्त परिषद् अथवा अध्यक्ष अथवा रजिस्ट्रार द्वारा मंजूरी न दी गई हो।

**69. विनियोजन की प्राथमिक इकाईयाँ:-** विनियोजन की प्राथमिक इकाईयाँ “अधिकारियों का वेतन”, “स्थापन का वेतन”, “भत्ते और मानदेय” आकस्मिकताएँ तथा छुट्टी तथा पेंशन, अथवा भविष्य निधि अंशदान होगी।

**70. अध्यक्ष को शक्ति होगी कि वह कुल प्राक्कलित धन राशी के अंतर्गत किसी एक मद के लिए मंजूर राशि का एक मद से दूसरे मद में विनियोजन कर सके:-** अध्यक्ष को यह शक्ति होगी कि वह कुल प्राक्कलित धन राशी के अंतर्गत किसी एक मद के लिए मंजूर राशि को एक मद से दूसरे मद के लिए कर सके। ऐसे पुनः विनियोजन को मंजूर करने वाले आदेशों कि प्रति कार्यकारिणी समिति को भेजी जाएगी।

**71. रजिस्ट्रार को किसी प्रकीर्ण इत्यादि व्यय मंजूर करने का अधिकार होगा:-** रजिस्ट्रार को अधिकार होगा कि वह विविध एवं प्रकीर्ण प्रकृति के प्राथमिक मद में अधिक से अधिक बीस हजार रूपये तक के व्यय को मंजूर कर सके। उससे अधिक व्यय हेतु अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

**72. रजिस्ट्रार को स्थायी अग्रिम:-** रुपये एक हजार स्थायी अग्रिम के रूप में रजिस्ट्रार को दिए जाएंगे।

**73. रजिस्ट्रार यात्रा भत्ता इत्यादि हेतु प्रमाणकर्ता अधिकारी होगा:-** रजिस्ट्रार, सदस्यों, निरीक्षकों, परिदर्शको तथा केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते हेतु प्रमाणकर्ता अधिकारी होगा, और रजिस्ट्रार हेतु अध्यक्ष प्रमाणकर्ता अधिकारी होगा।

**74. सदस्यों को यात्रा भत्ता इत्यादि:-** (1) केन्द्रीय परिषद् द्वारा गैर-आधिकारिक एवं आधिकारिक सदस्यों को सुपुर्द काम को करने तथा केन्द्रीय परिषद् की ड्यूटी करने हेतु उप विनियम (2) के अनुसार यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता तथा यात्रा प्रमाण देय होगा।

(2) अध्यक्ष, भारत सरकार के सेवा नियम यात्रा भत्ता नियम 195 के अंतर्गत नियंत्रण अधिकारी होगा।

(3) केन्द्रीय परिषद् के आधिकारिक अथवा गैर आधिकारिक सदस्यों का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

**75. केन्द्रीय परिषद् के रजिस्टर:-** केन्द्रीय परिषद् में निम्न रजिस्टर रखे जाएंगे:-

- (i) रोकड़ बही
- (ii) वर्गीकृत संक्षिप्त पंजिका
- (iii) प्रतिभूति पंजिका
- (iv) स्टॉक और फर्नीचर पंजिका
- (v) चैक बुक स्टॉक पंजिका
- (vi) छुट्टी तथा पेंशन अंशदान पंजिका
- (vii) स्थायी अग्रिम पंजिका
- (viii) वार्षिक लेखा पंजिका
- (ix) अन्य पंजिकाएँ

76. **मासिक लेखा:-** विनियोजन की प्रारंभिक इकाईयों के अनुसार वर्गीकृत संक्षिप्त रूप में मासिक लेखा तैयार किया जायेगा तथा समुचित और सभी गौण इकाईयाँ रजिस्ट्रार के विवेकानुसार ही खोली जाएंगी और रजिस्ट्रार, लेखों का सम्यक रूप में तैयार करने तथा बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

77.(1) **लेखा एवं लेखा परीक्षा:-** परिषद् की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा या उसके नाम निर्देशिती द्वारा प्रति वर्ष की जाएगी। यदि भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक परिषद् की लेखा परीक्षा करने से मना करता है, तो परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय परिषद् द्वारा देय होगा।

(2) परिषद् के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में, वो ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अनुसार लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होती है, और विशिष्ट तथा अन्य अहम दस्तावेजों और कागजातों को पेश किये जाने की मांग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(3) लेखा परीक्षक परिषद् की लेखा परीक्षा का परिणाम संसूचित करेगा और उसका कार्यकारिणी समिति द्वारा विचार कर लिए जाने के पश्चात् लेखा परीक्षा की रिपोर्ट और परीक्षित लेखाओं का विवरण आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथिक मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जायेगा। उसी समय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति सभी सदस्यों को सूचनार्थ वितरित की जाएगी।

परन्तु यदि परीक्षित लेखाओं के अभाव में सरकारी अनुदान रोक दिया गया हो तो अध्यक्ष, लेखा परीक्षक से परीक्षित लेखा प्राप्त होते ही उन्हें तत्काल केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

डॉ. आशिस दत्ता, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./342/18]

**टिप्पण :** मूल विनियम संख्या 7-1/83-सीसीएच तारीख 15 नवम्बर, 1984 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 तारीख 30 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना तारीख 26 अक्टूबर, 2004 के द्वारा संशोधन किया गया एवम् उसके बाद में अधिसूचना तारीख 5 मई, 2009 के द्वारा संशोधन किया गया।

## CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2018

**No.7-1/90-CCH(Pt.II).**—In exercise of the powers conferred, by clauses (b) to (g) of sub-section (1) of section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) and in supersession of the Central Council of Homoeopathy (General) Regulations, 1984, except as respects things done or submitted to be done before such supersession, the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Central Council of Homoeopathy (General) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

**2. Definitions.-** (1) **In these regulations, unless the context otherwise requires,-**

- “Act” means the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973);
- “employee” means the persons employed under clause (b) of section 11.
- “Executive Committee” or “Committee” means the Executive Committee or committee constituted under sub-section (1) of section 9;
- ‘inspector’ means a medical inspector appointed under sub-section (1) of section 17;
- “member” means a member elected under section (1) of section 3;

- (f) “President” means the President of the Central Council elected under sub-section (2) of section 3;
- (g) “Vice-President” means the Vice-President of the Central Council elected under sub-section (2) of section 3;
- (h) “Registrar” or “Secretary” means the Registrar of the Central Council appointed under clause (a) of section 11, also acting as the Secretary of the Central Council;
- (i) “section” means section of the Act;
- (j) ‘visitor’ means a visitor appointed under sub-section (1) of section 18;
- (2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

**3. Office of Central Council.**- The office of the Central Council shall be situated in Delhi.

**4. Time Place and preparation of business at meetings of Central Council.**- (1) Meetings of the Council shall ordinarily be held at Delhi or at such other places and on such dates and time as may be decided by the Central Council:

Provided that the President may call a special meeting at any time on fifteen days’ notice -

- (i). to deal with any urgent matter requiring the attention of the Central Council;
- (ii). for a purpose referred to in clause (b) of sub-regulations (1) of regulation;
- (iii). on a requisition signed by not less than fifty percent of the total members of the Central Council for a purpose which is within the scope of the Central Council’s functions, not being a purpose referred to in clause (ii).
- (2) The first meeting of the Central Council held in any financial year shall be the Annual Meeting of the Central Council for that year.
- (3) In the special meetings as referred in proviso to sub-regulation (1), only the subject for which the meeting has been called, shall be discussed.

**5. Notice of Meetings.** - (1) Notice of every meeting other than a special meeting called under the proviso to sub-regulation (1) of regulation 4, or under the first proviso to regulation 8 shall be dispatched by the Secretary to each member not less than forty five days before the date of the meeting.

(2) Notice of every meeting of the Central Council shall be dispatched by registered post and non receipt of any notice, shall not, however invalidate, the proceedings of any meeting, and the notice may also be e-mailed to the members.

**6. Agenda papers.** - (1) The Secretary shall issue with the notice of the meeting a preliminary agenda paper showing the business to be brought before the meeting, the terms of all motions to be moved of which notice in writing has previously reached him and the names of the movers.

(2) A member who wishes to move any motion not included in the preliminary agenda paper or an amendment to any item so included shall give notice thereof to the Secretary not less than fifteen clear days before the date fixed for the meeting.

(3) The Secretary shall not less than fifteen clear days before the date fixed for the meeting and in the case of a special meeting with the notice of the meeting, issue a complete agenda paper showing the business to be brought before the meeting.

(4) A member who wishes to move an amendment to any item included in the complete agenda paper, but not included in the preliminary agenda paper shall give notice thereof to the Secretary not less than three clear days before the date fixed for the meeting.

(5) The Secretary shall, if time permits, cause a list of all amendments, of which notice has been given under sub-regulation (4) to be made available for the use of every member:

Provided that the President may, if the Central Council agrees, allow a motion to be discussed at a meeting notwithstanding the fact that notice was received to admit of compliance with this regulation: Provided further that nothing in this regulation shall operate to prevent under special circumstances the reference by the Executive Committee of any matter to the Central Council at a meeting following immediately or soon after the meeting of the Executive Committee to permit of the notice required under this regulation.

**7. Admissibility of motion. - (1)** The President shall disallow any motion. -

- (i) if the matter to which it relates is not within the scope of the Central Council's functions;
- (ii) if it raises substantially the same question as a motion or amendment which has been moved or withdrawn with the leave of the Central Council within one year of the date of the meeting at which it is to be moved:

Provided that such a motion may be admitted at special meeting of the Central Council convened for the purpose on the requisition of not less than two thirds of the members of the said Council:

Provided further that nothing in these regulations shall operate to prohibit the further discussion of any matter referred to the Central Council by the Central Government in the exercise of any of its functions under the Act;

- (iii) unless it is clearly and precisely expressed and raises substantially one definite issue;
- (iv) if it contains arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements:

Provided that if a motion can be rendered admissible by amendment, the President may in lieu of disallowing the motion admit it in an amended form.

- (2) When the President disallows or decides a motion, the Secretary shall inform the member, who gave the notice of the motion of the order of disallowance or as the case may be of the form in which the motion has been admitted.

**8. Conduct of business at meetings of Central Council.—(1)** Every meeting of the Central Council shall be presided over by the President, or if he is absent, by the Vice-President or, if both the President and the Vice-President are absent, by a Chairperson to be elected by the members present from amongst themselves.

(2) All references in provision to the President shall be read as referring to the person for the time being presiding over a meeting.

**9. Quorum for meeting. -** If, at the time appointed for a meeting, a quorum is not present, the meeting shall not commence until a quorum is present, and if a quorum is not present, on the expiration of thirty minutes from the time appointed for the meeting or during the course of any meeting, the meeting shall stand adjourned to such future time and date as the President may appoint, and one third of the total members of the Central Council shall constitute a quorum.

**10. Voting by show of hands or by ballot. - (1)** Every matter shall be determined on a motion moved by a member and put to the Central Council by the President.

(2) Votes shall be taken by show of hands or by ballot, as the President decides:

Provided that votes shall be taken by ballot if five members so desire and ask for it in writing:

Provided further that if voting has been by show of hands, a division shall be taken if at least one member asks for it.

**11. Identical motions. -**When motions identical in purport stand in the names of two or more members, the President shall decide whose motion shall be moved and the other motion or motions shall thereupon be deemed to be withdrawn.

**12. Motion to be seconded. - (1)** Every motion or amendment shall be seconded and if not seconded shall be deemed to have been withdrawn.

(2) When a motion has been seconded it shall be stated from the Chair.

(3) When a motion has been thus stated, it may be discussed as a question to be resolved either in the affirmation or in the negative or any member may, subject to regulations 13 and 14, move an amendment to the motion:

Provided that the President shall not allow an amendment to be moved which, if it has been a substantive motion, would have been inadmissible under regulation 5.

**13. Amendment must be relevant to motion. - (1)** An amendment must be relevant to and within the scope of the motion to which it is proposed.

(2) An amendment may not be moved which has merely the effect of a negative vote.

(3) The President may refuse to put to the Central Council an amendment which in his opinion is frivolous.

**14. Motion how to be amended.**—A motion may be amended by the omission, insertion, addition or substitution of word or figure.

**15. Proposal in relation to motion.**—When a motion or amendment is under debate, no proposal with reference thereto shall be made other than an amendment of the motion or the amendment as the case may be, as provided in regulation 12.

**16. Motion, etc. how to be withdrawn.** -A motion or an amendment which has been moved and seconded, shall not be withdrawn save with the leave of the Central Council which shall not be deemed to be granted, if any member dissents from the granting of leave.

**17. Order of speaking on motion.** - When a motion has been moved and seconded, members other than the mover and the seconder may speak on the motion in such order as the President may direct:

Provided that the seconder of a motion or of an amendment may, with the permission of the President, confine himself to seconding the motion or amendment, as the case may be, and speak thereon at any subsequent stage of the debate.

**18. Objection, etc. by President.** -During the meeting, the President may, at any time, make any objections or suggestions or give information to elucidate any point to help the members in the discussion.

**19. Members how to speak on motion or amendment.** -(1) The mover of an original motion, and if permitted by the President, the mover of any amendment, shall be entitled to a right of final reply, and no other member shall speak more than once to any debate except with permission of the President, for the purpose of making a personal explanation or of putting a question to the member than addressing the Central Council:

Provided that any member at any stage of the debate may rise to a point of order, but no speech shall be allowed on that point:

Provided further that a member who has spoken on a motion may speak again on the amendment subsequently moved to the motion.

(2) No member shall, save with the permission of the President, speak for more than five minutes:

Provided that the mover of a motion when moving the same may speak for ten minutes.

(3) A speech shall be strictly confined to the subject matter of the motion or amendment on which it is made.

(4) Any motion or amendment standing in the name of a member who is absent from the meeting or unwilling to move it, may be brought forward by another member with the permission of the President.

**20. Observations by member.** - (1) A member desiring to make any observations on the matter before the Council, shall rise in his place and address the President, with his permission.

(2) If at any time the President rise, any member speaking shall immediately resume his seat.

**21. Members to be heard on business.** -No member shall be heard except upon the business before the Central Council.

**22. Amendments to motion.** - (1) When an amendment to any motion is moved and seconded or when two or more such amendments are moved and seconded, the President shall, before taking the sense of the Central Council thereon state or read to the said Council the terms of the original motion and of the amendment or amendments proposed.

(2) An amendment to a motion shall be put to the vote first.

(3) If there be more than one amendment to a motion the President shall decide in what order they shall be taken.

**23. Motion involving several points.** -When any motion involving several points has been discussed it shall be in the discretion of the President to divide the motion, and put each or any point separately to the vote as he may think fit.

**24. Adjournment of meetings.** - (1) The President may, if he deems necessary due to exigencies, at any time, adjourn any meeting to any future day or to any hour of the same day and state the reasons therefor.

(2) Whenever a meeting is adjourned to a future day, the Secretary shall, if possible, send notice of the adjournment to every member who was not present at such meeting.

(3) When a meeting has been adjourned to a future day the President may change such day to any other day for compelling reasons and the Secretary shall send written notice of the change to each member.

(4) At a meeting adjourned to a future day any motion standing over from the previous day shall, unless the President otherwise directs, take precedence over other matters on the agenda.

(5) The President or a member may suggest a change in the order of business on the agenda, either at the beginning of the meeting or after the conclusion of the debate on a particular item during the meeting and if the Central Council agrees, such a change shall be made.

(6) The matter which had not been on the agenda of the original meeting shall be discussed at an adjourned meeting after completion of agenda of the original meeting.

(7) The same quorum shall be necessary for an adjourned meeting as for an ordinary meeting.

**25. President to decided points of orders.** - (1) The President shall decide all points of order which may arise, and his decision shall be final.

(2) If any question arises with reference to procedure in respect of a matter for which these regulations make no provision, the President shall decide the same and his decision shall be final.

(3) The President shall direct any business, which it may be necessary for the Central Council or the Executive Committee to discuss and decide, to be transacted by circulation among the members of the said Council or the Executive Committee:

Provided that if ten members of the Central Council or three members of the Executive Committee, as the case may be, desire that any particular subject shall be decided at a meeting instead of by circulation, it shall be placed before a meeting of the Central Council or the Executive Committee.

(4) Any resolution or business which is circulated as stated above and approved by a majority of the members signing, shall be binding as a resolution adopted, as if, in a meeting of the Central Council or the Executive Committee.

**26. Press representatives and other guests at meeting.** - Four representatives of the press at the discretion of the President and other guests, not exceeding four at a time, may be admitted to the meeting on production of permits from the Secretary and the press representatives shall be required to obtain the previous approval of the Secretary to the publication of their report of the proceedings, and the President may, at any time, hold the meeting in camera in which case all guests shall be required to withdraw.

**27. Motions or decisions to be in printed form.** -The motions or decisions adopted in the meetings of the Central Council shall be preserved in the form of printed minutes which shall be authenticated by the President.

**28. Minutes to be attested by President.** -A copy of the minutes of each meeting shall be submitted to the President within fifteen days of the meeting and attested by him and they shall then be sent to each member within thirty days of the meeting.

**29. Content of the minutes.** - The minutes of each meeting shall contain such motions and amendments as have been moved and adopted or negative, with reasons, with the name of the mover and the seconder, but without any comment and without any record of observations made by any member at the meeting.

**30. Objections regarding minutes.** -If any objection regarding the correctness of the minutes is received within thirty days of the dispatch of the minutes by the Secretary, such objection together with the minutes as recorded and attested shall be put before the next meeting of the Central Council for confirmation and at this meeting no question shall be raised except as to the correctness of the minutes of the meeting:

Provided that if no objection regarding a decision taken by the Central Council at a meeting is received within thirty days of the dispatch by the Secretary on the minutes of that particular meeting, such decision shall be put into effect:

Provided further that the President may direct that action be taken on a decision of the Central Council before the expiry of the period of thirty days mentioned above.

**31. Volumes of minutes.** -The minutes of the meetings shall, as soon as is practicable after their confirmation, be made up in sheets and consecutively paged for insertion in a volume which shall be permanently preserved and a copy of volumes shall be supplied free to each member of the Central Council, and such copies may be sold to the public at a price to be fixed by the Central Council.



**32. Proceedings of the meeting to be kept in accurate manner.** -The proceedings containing the observations and details of the discussions held at the meeting of the Central Council, which shall be authenticated by the President, shall be kept in a manner as accurate as possible in the office for the members of the said Council and shall be open to members for inspection, and a copy of the proceedings in full or in part shall be supplied to a member on request without levy of cost.

**33. Powers and duties of President.** - (1) The President shall exercise such powers and perform such duties as are provided in the Act, the regulations, and standing orders of the Central Council and he shall do such acts as he considers necessary in furtherance of the objects for which the Central Council is established and the President, who shall be the head of the office, shall have the authority to sanction an amount of twenty thousand rupee in each case, and beyond twenty thousand rupee the President may sanction amount as per the recommendations of the concerned committee from the sanctioned budget.

(2) In case of urgency, the President may take the necessary action and intimate the fact to the Executive Committee and the Central Council:

Provided that no such action shall be taken in anticipation of approval in matters of major policy or principle.

**34. Vice President when to exercise powers, etc. of President.** - If the office of the President is vacant or if the President for any reason is unable to exercise the powers or perform the duties of his office, the Vice-President shall act in his place and shall exercise the powers and perform the duties of the President.

**35. Resignation by member.** - A member desiring to resign his seat on the Central Council shall send his resignation in writing to the President and his resignation shall take effect from the date specified by him in this behalf or from the date of receipt of his letter by the President whichever is later, after confirmation from the member concerned.

**36. Resignation by Vice President.** - If the Vice-President desires to resign from his seat in the Central Council, he shall send his resignation in writing to the President and his resignation shall take effect from the date specified by him or the date of acceptance by the President whichever is later, after confirmation from the Vice-President.

**37. Reporting of casual vacancy.** - When a casual vacancy occurs by reason of death or resignation of the Vice President or a member, a report shall be made forthwith by the President to the Central Government for necessary action.

**38. Procedure for meetings of Executive Committee.** - When a casual vacancy occurs by reason of death or resignation of the Vice-President, a report shall be made forthwith by the President to the Central Government for necessary action

**39.** The meetings of the Executive Committee shall be generally governed by the regulations applicable to the meetings of the Central Council.

**40. Quorum for Executive Committee.** - (1) If at the time fixed for a meeting of the Executive Committee a quorum is not present, the meeting shall not commence until a quorum is present, and if a quorum is not present on the expiration of an hour from the time fixed for the meeting or during the course of any meeting, the meeting shall stand adjourned to such future date and time as the President may fix,

(2) one third of the total members of the Executive Committee shall form a quorum.

**41. Member when the act as Chairperson.** - If both the President and the Vice-President are absent the members present shall elect one of the members present to act as Chairperson.

**42. Quorum not necessary at adjourned meeting.**- When a meeting of the Executive Committee is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the adjourned meeting.

**43. Duration of Executive Committee.**- (1) The term of the Executive Committee shall be for five years from the date of its constitution by election of its members from amongst members in the Central Council:

Provided that if any casual vacancy occurs in the Executive Committee by reasons of death or resignation or cessation of membership of the Central Council or for any other reason, the vacancy shall be filled up for the remaining period by election from amongst members of the Central Council”.

(2) A member of the Executive Committee shall be eligible for re-election.

**44. President may invite member to attend meeting of Executive Committee.-** The President may invite a member of the Central Council, who is not a member of the Executive Committee to attend any meeting of the Executive Committee and any member so invited shall be free to participate in the discussions of the Executive Committee but shall not have the right to vote.

**45. Time, place, etc. of meeting of Executive Committee.-** (1) The meeting of the Executive Committee shall take place at a time and place as the President shall determine.

(2) Notice and Agenda of such a meeting of the Executive Committee shall ordinarily be issued not less than twenty one days and twelve days respectively before the meeting:

Provided that on a resolution signed by not less than four members of the Executive Committee for a purpose which is within the scope of the functions of the Executive Committee, the President may call a special meeting at any time on the notice of ten days.

**46. Executive Committee to consider report.-** The Executive Committee shall consider the report on any subjects referred to it by the Central Council or by the President.

**47. Consideration of reports of course of study, etc.-** The Executive Committee shall take into consideration the reports of the course of study, facilities for teaching and examinations submitted by inspectors or visitors and shall thereupon prepare a report for submission to the Central Council.

**48. Powers and functions of Executive Committee.-** The Executive Committee shall exercise all the powers in the implementation of the decisions of the Central Council and shall have the power to take decisions in all matters except those falling in the sphere of other committees and it shall also perform all the functions of the Central Council of administrative nature

**49. Minutes of meeting of Executive Committee to be submitted to President.-** (1) A copy of the minutes of each meeting of the Executive Committee shall be submitted to the President within fifteen days of the meeting, and after having been attested by him shall be sent to each member of the Executive Committee within twenty days of the meeting.

(2) If no objection to the correctness of the minutes is received within fifteen days of their dispatch, any decision therein shall be given effect to, and the minutes shall be sent to the members of the Central Council after confirmation by the Executive Committee:

Provided that the President may direct that action be taken on a decision of the Executive Committee before the expiry of the period of fifteen days mentioned above.

**50 Committees.-** (1) The Central Council shall constitute the following committees, namely:-

- (a) Education Committee;
- (b) Regulations Committee;
- (c) Finance Committee;
- (d) Registration Committee;
- (e) Post Graduate Committee.

(2) Each of the committees referred to in sub-regulation (1) shall have not more than seven members.

(3) The functions of each committee referred to in sub-regulation (1) shall be as under: –

(i) the Education Committee shall deal with all matters related to the syllabi, curriculum, teaching, examinations, result, readmission in examinations, eligibility, internship, qualification of teachers, strength of teaching faculty, departments, library, equipment, attached Homoeopathic Hospital (including Out Patient Department, In Patient Department, relevant facilities, staff and functioning) and other related matters to Under Graduate level education;

(ii) the Post Graduate Education Committee shall deal with all matters related to the syllabi, curriculum, teaching, examinations, result, readmission in examinations, eligibility, house job, qualification of teachers, strength of teaching faculty, departments, library, equipment, attached Homoeopathic Hospital (including Out Patient Department, In Patient Department, relevant facilities, staff and functioning) and other related matters to Post Graduate level education;

(iii) the Regulation Committee shall deal with all matters related to the Act and the regulations made there under;

(iv) the Finance Committee shall deal with making of Budget Estimates, Revised Estimates, Final Estimates, Annual Accounts and other matters related to finances of the Central Council;

(v) the Registration Committee shall deal with matters related to the Central Register of Homoeopathy, Direct Registration with the Central Council and all other matters related to registration.

(4) Each of the committees referred to in sub-regulation (1) shall have full powers, within the sphere of the functions assigned to it, to take decisions:

Provided that the decisions of the said Committees shall be subject to ratification by the Central Council if,—

(i) the matters of large policy are involved ;

(ii) the decision of the Committee involves an expenditure on items exceeding twenty thousand rupees per annum from out of the sanctioned budget;

(iii) according to the provisions of the Act, regulations or Standing Order of the Central Council, orders of the said Council are necessary.

(5) The Chairperson of each of these committees shall be elected by the members of the respective committees.

(6) The President or in his absence the Presiding Authority shall depute one of its members as Returning Officer for the election of committees referred to in sub-regulation (1) and the Returning Officer so selected shall call upon the members present in the meeting to move a motion for constitution of each of the committees by stipulating a time frame which will be applicable for the day of the meeting, and in case of having proposals for more than seven names for a committee, the Returning Officer shall call upon for election by ballot among so named members as candidates for the concerned committee and after the counting of the ballots the Returning Officer shall declare the name of members of the committee who obtain the largest number of votes as elected.

(7) A motion for constitution of a committee referred to in sub-regulation(1) shall be moved wherein the mover shall propose the name of the members of the committee and any member may then move amendments proposing the addition of names of other members.

(8) If the number of members proposed as members of the committee does not exceed the total number of members to form the committee, the members so proposed shall be declared as unanimously elected members of the committee by the Returning Officer and if the number of members so proposed exceeds the total number of members to form the committee, election by ballot shall be held and the requisite number of members who obtain the largest number of votes shall be declared elected by the Returning Officer:

Provided that in the event of two or more candidates securing the same number of votes and that number being more than the number of votes secured by any candidate other than the two or more securing the same number of votes, the determination as between such candidates shall be done by draw of lots and the candidate on whom the lot falls, shall be declared elected.

**51. (1)** The Central Council may at any time, on the adoption of a motion to this effect, appoint any other committee.

(2) A motion for the constitution of such committee shall define the functions and powers of the committee and the number of its members.

(3) Any member may without notice move an amendment to such a motion proposing that the functions and powers or the number of its members be enlarged or reduced.

**52. Proceedings of Committees. - (1)** The proceedings of the committees shall be conducted in accordance with the provisions contained in foregoing regulations:

Provided that such provisions may at any time be relaxed at the discretion of the Chairperson.

(2) A resolution passed by a committee constituted by the Central Council shall embodied in a report prepared by the Secretary or by the Chairperson at the latter's discretion, and when signed by the members of the committee shall, with any notes of dissent, be presented to the Central Council at its next meeting subject to the provisions of these regulations regarding notice.

**53. Members of Committees. - (1)** The number of members in each committee shall ordinarily not exceed seven.

(2) No member of the Central Council shall be elected or appointed on more than two committees.

(3) The term of office of an elected member of a Committee referred in sub-regulation (1) of regulation 50,

shall be for two and a half years, for the members of Executive Committee from the date of his election or till the date his membership is ceased in the Central Council, whichever is earlier:

Provided that if any casual vacancy occurs in a committee by reason of death or resignation or cessation of membership of the Central Council or for any other reason the vacancy shall be filled up for the remaining period by election from amongst the members of the Central Council.

(4) A member of a committee shall be eligible for re-election.

(5) The Chairperson of a Committee may resign from his office in writing addressed to the President and his resignation shall take effect from the date of its acceptance by the President.

(6) When a casual vacancy occurs by reason of death or resignation of the Chairperson, the Committee shall elect a new Chairperson for remaining term of such Committee.

(7) The Chairperson of a Committee may, with the consent of the President, invite not more than one member of the Central Council to attend any meeting of the Committee, who is not a member of that particular committee and the person so invited shall be free to participate in the discussions of the committee but shall not have the right to vote:

Provided that where financial commitment is not involved, any number of members can be invited by the Chairperson of a committee with the consent of the President and such invited members shall be free to participate in the discussions of the committee but shall not have the right to vote.

**54. Term of office of Registrar.-** The Terms of Office of the Secretary or Registrar shall be fixed by the Central Government at the time of appointment. He shall be retired on attaining the age of sixty years unless otherwise determined by the Central Government:

Provided that he may be granted extension of service after 60 years for a total period not exceeding two years with the prior approval of the Central Government.

**55. Duties of Registrar. -** The Registrar shall be the Executive Officer of the Central Council.

- (i) He shall perform such duties as have been assigned in the Act and the regulations and also as assigned by the Central Government from time to time. He shall also be responsible for the safety of the property of the Council, the control and management of the office and for the accounts and correspondence.
- (ii) He shall be responsible for maintaining the punctuality in the Council and generally fulfill all such duties as may be required of him by the Central Council for the purposes of the Act. He shall attend and take notes of the proceedings of meetings of the said Council, the Executive Committee and other Committees.

**56. Registrar to take note of impending vacancy. -** The Registrar shall, not less than ninety days before the expiry of the term of any member of the Council, draw the attention of the Central Government to the approaching vacancy in order that a new member may be nominated or elected to fill the vacancy from the date on which the vacancy occurred.

**57. Retirement of Employees:-** The employees of the Council shall retire on attaining the age of sixty years:

Provided that the Council may extend the tenure of a member of the ministerial or lower grade staff for any period not exceeding two years with the prior approval of Central Government .

**58. Duties of Employees. –** The duties and responsibilities of the staff shall be such as may be laid down, from time to time, in the standing order as framed for the purposes by the Central Council with the prior approval of the Central Government.

**59. Clerical etc. staff. – (1)** Subject to the approval of the Executive Committee, the Registrar shall appoint the clerical and Group 'D' staff and may engage such temporary personnel, as may be required from time to time, and pay a reasonable rate of remuneration to such personnel, provided it does not exceed the rate sanctioned by the Central Government for corresponding permanent staff and these appointments shall be subject to ratification by the Central Government.

(2) All service rules and Conduct rules or any other rules as applicable to Central Government employees shall also be applicable to the staff of the Central Council.

**60. Out Sourcing of work for specified period. -** Subject to the approval of the Executive Committee, the

Registrar shall get the work done from an agency selected for outsourcing the manpower for a specified period.

**61. Contractual Employees.** - Subject to the approval of the Executive Committee, the Registrar shall appoint an employee on contractual basis for a specified work, for a specified period and pay the remuneration as settled in advance:

Provided that, the remuneration to such employees shall not exceed the rates sanctioned by the Central Government for appointing contractual employees in the corresponding cadre, and such appointment shall be subject to ratification by the Central Council.

**62. Power of Executive Committee in respect of property of Central Council.** - Subject to the control of the Central Council, the Executive Committee shall have full power and authority to do all such acts and deeds in respect of the property of the Central Council which may be necessary or expedient for the purpose of the said Council and expend money therefrom, and in particular and without prejudice to the generality of this provision, the Executive Committee shall have power-

(i) to look after, manage and supervise the management of the property of the Central Council and to expend money required for that purpose;

(ii) to pay all rates, rents, taxes, salaries, allowances or other dues;

(iii) to acquire by gift, purchase, exchange, lease or otherwise hand over and to sell, mortgage or otherwise dispose of any lands, buildings and other moveable or immovable properties of the Central Council;

(iv) to build, construct, maintain, pull down, alter, extend, improve and repair any building or structure; and

(v) to delegate any of its powers to the President, Vice-President, committee, any authority or Officer of the Central Council:

Provided that the Executive Committee shall place before the next meeting of the Central Council full information about any action taken in respect of the moveable or immovable property of the said Council:

Provided further that no sale, lease deed or any other transfer of immovable property as mentioned in clauses (iii) and (iv) exceeding ten lakh rupees in value shall be made without the previous sanction of the Central Council.

**63. Benefactions, etc. to be received by Central Council.** - The Central Council is authorised to receive, for the purpose of its expenses, benefactions and contributions from private persons and bodies and the proceeds of the sale of reports and other publications.

**64. Bankers of Central Council.** - The Bankers of the Central Council shall be the local branch of the State Bank of India or any Nationalised Bank or any other Bank authorised by the Central Government in this behalf.

(2) All funds of the Central Council shall be paid in to its account with any of the Bank referred to in sub-regulation (1) and shall be withdrawn by means of cheques jointly signed by the President or in his absence Vice-President and the Registrar.

**65. Investment of Surplus funds.** - The funds of the Central Council surplus to current requirements may, on recommendation of the Registrar and Finance Committee and with the sanction of the Executive Committee, be invested, in a manner as decided by the Executive Committee and the Central Council, -

(i) in promissory notes, stock or other securities of the Government of India or any State Government;

(ii) in stock or debentures of or shares in companies, the interest whereon shall have been guaranteed by the Government of India;

(iii) in debentures or other securities for money issued under the authorities, of an Act of a legislature, established in India, by or on behalf of any Municipal Body, Port Trust or city improvement Trust.

**66. Funds to be invested in name of Central Council.** - An investment of the funds of the Central Council shall be made in the name of the Central Council, and the safe custody receipts shall remain in the charge of the Registrar and shall be verified once in six months with the Register of Securities maintained under regulation 75 and a certificate of verification shall be recorded by the Registrar on the register and countersigned by the President.

**67. Finance Committee to prepare estimates of receipts and expenditure.**- The Finance Committee shall prepare detailed estimates of receipts and expenditure for the next financial year and shall submit the same for approval by the Executive Committee at its next meeting to be held for the purpose before the first of

September every year and one copy of the sanctioned estimates shall be submitted to the Central Council and another to the Secretary, Ministry of Ayurveda Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy of the Central Government by the 1<sup>st</sup> of October every year.

**68. Funds how to be appropriated.-** The funds of the Central Council shall not be appropriated for expenditure on any item which has not been duly sanctioned by the said Council or by the President or Registrar, as the case may be.

**69. Primary units of appropriations.-** The Primary units of appropriations shall be “pay of officers”, “pay of establishment”, “allowance and honoraria”, “contingencies” and “leave and pension or provident fund contribution”.

**70. President empowered to reappropriate funds from one unit of appropriation to another.-** The President shall have power to reappropriate funds from one unit of appropriation to another within the total sanctioned estimates and copies of orders sanctioning such reappropriation shall be communicated to the Executive Committee.

**71. Registrar empowered to sanction miscellaneous, etc. expenditure. -** The Registrar shall have power to sanction expenditure on miscellaneous and contingent nature upto an amount not exceeding twenty thousand rupees in each case and expenditure in excess of that amount shall require the sanction of the President.

**72. Permanent advance to Registrar. -** A permanent advance of one thousand rupees shall be made to the Registrar.

**73. Registrar to be certifying officer for travelling etc. allowances. -** The Registrar shall be the certifying officer for traveling, halting and other allowances to members, Inspectors, visitors and employees of the Central Council, and the President for those of the Registrar.

**74. Travelling allowances, etc. to members. -** (1) The Central Council shall pay the Travelling Allowances or Daily Allowances, and conveyance charges to non-officials and officials members of the Central Council for undertaking the assignments and duties of the Central Council, as per sub-regulation (2).

(2) The President shall be the Controlling Authority in terms of Service Rules 195 of Travelling Allowances, Rules of the Government of India.

(3) The Official or non-official members of the Central Council shall be decided by the Central Government.

**75. Registers of Central Council.-** The following registers of the Central Council shall be maintained, namely:-

- (i). the Cash Book;
- (ii). the register of Classified Abstract;
- (iii). the register of Securities;
- (iv). the register of Stock and Furniture;
- (v). the register of Stock of Cheque Books;
- (vi). the register of Leave and Pension Contribution;
- (vii). the register of Permanent Advances;
- (viii). the register of Annual Accounts;
- (ix). Any other register.

**76. Monthly accounts.-** Monthly accounts shall be compiled in the classified abstract according to the primary units of appropriation and suitable secondary units may be opened at the discretion of the Registrar who shall be responsible for the due preparation and maintenance of all accounts.

**77. Accounts and audit.-** (1) The accounts of the Central Council shall be audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India or his nominee and if the Comptroller and Auditor General of India declines to undertake the auditing of the accounts of the Central Council, the Council may appoint a Chartered Accountant with the prior approval of the Central Government and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the said Council.

(2) The Comptroller and Auditor-General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Central Council shall have the same right, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other necessary documents and papers.

(3) The result of the audit shall be communicated by the auditor to the Central Council and after the Executive Committee has considered the same, the audit report and the audited statement of accounts shall be forwarded to the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Government of India and copies of the audit report shall at the same time be circulated to all the members of the Central Council, for information:

Provided that if release of Government grant is held up for want of audited accounts, President may forward the audited accounts to the Central Government immediately on receipt of the same from the Auditor.

Dr. ASHIS DATTA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./342/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 30<sup>th</sup> November 1985 *vide* No. 7-1/83-CCH dated the 15<sup>th</sup> November, 1984 and subsequently amended *vide* notification dated the 26<sup>th</sup> October, 2004 and *vide* notification dated 5<sup>th</sup> May, 2009.